न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व विभाजन खेताय

संख्या :– 10 / 2016

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. हरदीन पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर 2. हरीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर 3. रामाकिशन पुत्र रामकुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर	1. रामदेव पुत्र भंवरलाल पुत्र सीताराम 2. पारसमल पुत्र भंवरलाल पुत्र सीताराम 3. पुखराज पुत्र ताराचंद पुत्र सीताराम 4. खींवराज पुत्र ताराचंद पुत्र सीताराम 5. जीतेन्द्र पुत्र रामदीन 6. रामप्रसाद पुत्र सीताराम 7. जेठमल पुत्र सीताराम 8. पांचाराम पुत्र सीताराम 9. दशरथ पुत्र सुन्दरलाल 10. सुरेश पुत्र संपतलाल 11. रमेश पुत्र संपतलाल 12. प्रेम पुत्र संपतलाल 13. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार 14. रतनलाल पुत्र रामकुमार 15. राजाराम पुत्र रामकुमार सभी जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्वालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

वकील वादीगण
श्री गंगासिंह कालवी

वकील प्रतिवादीगण
श्री महेन्द्र सिंह

निर्णय दिनांक :– **09.03.2021**

1– वादीगण की ओर से निम्न वाद पेश है :–

1. यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 सभी एक ही पूर्वज विजयराम के उतराधिकारीगण है जिनका वंश वृक्ष वाद के पैरा संख्या 1 के अनुसार है।
2. यह है कि मौजा संखवास तहसील मूण्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1069 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 1084 रकबा 4.13 बीघा, खसरा नम्बर 1085 रकबा 6.03 बीघा व खसरा नं. 1088 रकबा 5.17 बीघा वाके है जिसके पुराने खसरा नम्बर 1086, 1097, 1098 व 1101 क्रमशः थे। यह भूमि श्री भूराराम पुत्र छोटूराम ब्राह्मण निवासी ग्वालू की डोली की भूमि थी जिसे विजयराम ने काश्त करने के लिए बांटा से ली तथा उसे भूराराम ने एक काश्तकार प्रविष्ट किया तथा उसके बाद लगातार इस भूमि पर विजयराम व उसके लड़के बतौर

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

काश्त करते रहे तथा बांटा हासल डोलीदार को देते रहे। इसलिए संवत 2012 व उसके पहले व बाद में इस भूमि पर विजयराम बतौर काश्तकार काश्त करते थे इसलिए वे इस भूमि के कानून के प्रभाव से खातेदार हो गये। इस भूमि का बांटा विजयराम ने जब तक भुराराम जीवित था उसे हासल दिया। भुराराम डोलिया खालसा होने के लगभग ही नाऔलाद फौत हो गया सो बाद में लगान विजयराम ने राज्य सरकार को अदा किया है। श्री विजयराम सन् 1969 में गुजर गये। उसके सभी उपर बताये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 उतराधिकारी है सो खातेदार हो गये व हिस्से वंशावली के अनुसार हुऐ। यह भूमि घरेलु तस्फिया से खसरा नम्बर 1085 व 1088 वादी हरदीन के बंट व कब्जे में है तथा खसरा नम्बर 1084 वादी हरीरामप्रसाद उर्फ हरीप्रसाद के बंट व कब्जे में है तथा खसरा नम्बर 1069 वादी रामाकिशन के बंट व कब्जे काश्त में है तथा यह घरेलू तस्फिया भी काफी अरसे से है। अन्य हिस्सेदारों के बंट में अन्य भूमि व सम्पति दी हुई है। यह सब होते हुऐ भी यह भूमि अभी तक डोलीदार भूराराम की खातेदारी में दर्ज है जबकि यह भूमि उसकी खुदकाश्त में कभी नहीं रही। इसलिए यह इन्द्राज गलत है वह तो संवत 2020 के आस पास ही नाऔलाद फौत हो गया था। वादीगण व उनके हिस्सेदारो का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है व उन्हीं ने लगान जब तक लगता था सरकार को अदा किया है मगर अब कई आर्थिक लाभ खातेदारी में यह भूमि दर्ज न होने से पक्षकार वादीगण वंचित रह रहे है तथा उनके अधिकारों पर भी कुठाराघात हुआ है तथा विभाजन का भी अमल राजकीय रेकर्ड में नहीं हुआ है सो यह वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन के लिए पेश करना आवश्यक हो गया है तथा राज्य सरकार ऐसे दावा में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार मूण्डवा को भी पक्षकार बनाया है।

3. यह है कि बिनायवाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि वादीगण व उनके हिस्सेदारो की खातेदारी व कब्जे काश्त की होते हुऐ भी राजकीय रेकर्ड में भूराराम के नाम दर्ज होने से तथा यह भूमि पक्षकारान के बीच घरेलु तस्फिया से विभाजित होने के बावजुद भी उसका प्रभाव राजकीय रेकर्ड में न होने से बमुकाम मौजा संखवास व ग्वालू में पैदा हुई जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है तथा दावा हाजा सुनने के अधिकार अदालत हाजा को हासिल है।
4. यह है कि वादीगण प्रार्थना करते है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर की जाये–
   1. कि मौजा संखवास तहसील मूण्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1069 रकबा 18.01 बीघा, खसरा नं. 1084 रबका 4.13 बीघा, खसरा नं. 1085 रकबा 6. 03 बीघा व खसरा नम्बर 1088 रकबा 5.17 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 की शामलाती खातेदारी की घोषित की जाये जिसमें वंशावली के अनुसार हक हिस्सा है।

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

2. कि उक्त भूमि का विभाजन पक्षकारान के बीच कर उसमें से भूमि खसरा नम्बर 1085 रकबा 6.03 बीघा, खसरा नम्बर 1088 रकबा 5.17 बीघा कुल 12.00 बीघा वादी हरदीन के बंट वं खातेदारी का, खसरा नं. 1084 रकबा 4.13 वादी हरीराम उर्फ हरीप्रसाद के बंट व खातेदारी का व भूमि खसरा नं. 1069 रकबा 18.01 बीघा वादी रामाकिशन के बंट व खातेदारी की घोषित की जाये।

2— वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 रामदेव, 2 पारसमल, 3 पुखराज, 4 खीवराज, 5 जितेन्द्र, 6 रामप्रसाद, 7 जेठमल, 8 पाचाराम, 9 दशरथ, 13 ओमप्रकाश, 14 रतनलाल व 15 राजाराम की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह ने दिनांक 10.05.2016 को वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 सुरेश, 11 रमेश व 12 प्रेम की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह ने दिनांक 2.07.2016 को वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया।

3— दिनांक 17.02.2021 को गवाह हरीप्रसाद (P.W.-1) ने अपने बयान कलमबद्ध करवाते हुए कहा कि "वादीगण व प्रतिवादीगण हम सब एक ही वंशज की औलाद है। शुरू में विजयराम जो हमारे दादाजी है, इनकी औलादे है। वाद में जो वंशावली लिखी गई है, वे सही है। विजयराम के तीन लड़के हुऐ, सीताराम, रामकुमार व सुन्दरलाल जो तीनों गुजर गये। सीताराम के उत्तराधिकारी — भंवरलाल, ताराचंद, रामप्रसाद, हरदीन, रामदीन, जेठमल व पांचाराम हुऐ। इनमें से भंवरलाल गुजर गये जिनके पिछे रामदेव व पारसमल दो लड़के है। ताराचन्द भी गुजर गये जिनके पुखराज व खींवराज दो लड़के है। रामदीन भी गुजर गये जिनका उत्तराधिकारी जितेन्द्र है। विजयराम के पुत्र रामकुमार भी गुजर गये जिनके उत्तराधिकारी हरिप्रसाद दशरथ व सम्पतलाल है। सम्पतलाल गुजर गये जिनके उत्तराधिकारी सुरेश, रमेश व प्रेम है। खसरा नम्बर 1069 रकबा 18—01 बीघा, खसरा नम्बर 1084 रकबा 4—13 बीघा, खसरा नम्बर 1085 रकबा 6—03 बीघा खसरा नम्बर 1088 रकबा 5—17 बीघा वाके मौजा ग्राम संखवास जो भूराराम पुत्र छोटूराम ब्राह्मण निवासी ग्वालू की डोली की भूमि थी जिससे हमारे दादाजी विजयराम ने बांटा से काश्त पर ली तथा विजयराम को काश्तकार प्रविष्ट किया। उसके बाद उनका तथा उनके पुत्रों का लगातार कब्जा काश्त रहा तथा भूराराम को बांटा दिया। इसके बाद भूरारामजी डोलीयां की खालसा हो गई तथा भूरारामजी भी फौत हो गये इसके बाद लगान राज सरकार में भरना शुरू कर दिया तथा डोलयां खालसा होने से हमारे दादा विजयरामजी खातेदार हो गये। विजयराम 1969 में गुजर गये इसके बाद वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 तक उत्तराधिकारी जो खातेदार हो गये। यह जमीन हमारे घरेलू तस्फिया बंटी हुई है। जो वाद के पैरा सं. 2 में अंकित है। खसरा नम्बर 1085 व 1088 वादी हरदीन के बंट में है तथा खसरा नम्बर 1084 जो मेरे बंट में है खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर (मु.)

1069 वादी रामाकिशन के बंट में है। बंट के अनुसार हम कब्जा काश्त करते है। जो बंट के अनुसार हम बंटवाड़ा चाहते है। ग्राम संखवास के खेतों की खतौनी प्रदर्श–1 है। जो सम्वत 2064–2067 है, सम्वत 2039–2042 प्रदर्श–2 है। खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श–3, मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2006 प्रदर्श–4 है। सम्वत 2006 की मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2006 प्रदर्श– 5, मिसल बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2020 प्रदर्श–6, गिरदावरी सम्वत 2011 से 2020 प्रदर्श–7 है इसी प्रकार उपरोक्त बंट के अनुसार दावा डिक्री किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।"

दिनांक 24.02.2021 को बहस वकुलाय सुनी गयी। पत्रावली का गहन अध्ययन किया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया। दावे एवं बयान गवाह के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री जारी की जाती हैं :–

1. मौजा संखवास तहसील मूण्डवा की भूमि खसरा नम्बर 1069 रकबा 18.01 बीघा, खसरा नं. 1084 रबका 4.13 बीघा, खसरा नं. 1085 रकबा 6.03 बीघा व खसरा नम्बर 1088 रकबा 5.17 बीघा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 की शामलाती खातेदारी की घोषित की जाती हैं।
2. उपरोक्त भूमि का विभाजन पक्षकारान के बीच कर उसमें से भूमि खसरा नम्बर 1085 रकबा 6.03 बीघा, खसरा नम्बर 1088 रकबा 5.17 बीघा कुल 12.00 बीघा वादी हरदीन के बंट व खातेदारी का, खसरा नं. 1084 रकबा 4.13 वादी हरीराम उर्फ हरीप्रसाद के बंट व खातेदारी का व भूमि खसरा नं. 1069 रकबा 18.01 बीघा वादी रामाकिशन के बंट व खातेदारी की घोषित की जाती हैं।

उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी होकर रेकर्ड में अमल दरामद हेतु इस निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार मूण्डवा को भेजी जावे।

यह हैं कि निर्णय आज दिनांक **09.03.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर